निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 2) पटना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2021

सं० th@U;k0&19&34@2020&7070

xg foHkkx

संकल्प

30 दिसम्बर 2020

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Criminal) No.- 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक– 02.12.2020 को पारित न्यायादेश में राज्य के सभी पुलिस थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों के अधिष्ठापन एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय निगरानी समिति (State Level Oversight Committee) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (District Level Oversight Committee) के गठन एवं उत्तरदायित्व संबंधी निदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में निम्नांकित समितियों का गठन किया जाता है।

¼I½ **State Level Oversight Committee ¼SLOC½**

(क) blds fuEukfdr lnL; gksaxs %&

Ø0	inuke
1	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, गृह विभाग
2	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग
3	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक
4	अध्यक्ष/ सदस्य, राज्य महिला आयोग

(ख) bl lfefr ds fuEukfdr nkf;Ro gksaxs %&

(a) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों का क्रय, वितरण एवं अधिष्ठापन।

(b) उपर्युक्त कार्य हेतु बजट आवंटन प्राप्त करना।

(c) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों के रख–रखाव एवं संधारण का निरंतर अनुश्रवण।

(d) जिला स्तरीय निगरानी समिति से प्राप्त परिवादों की सुनवाई एवं निरीक्षण करना।

(e) जिला स्तरीय निगरानी समिति से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा त्रुटिपूर्ण उपकरणों अथवा अन्य समस्याओं का त्वरित निवारण करना।

¼ II½ **District Level Oversight Committee ¼DLOC½**

¼d½ bl ds fuEukfdr lnL; gksxs %&

Ø0	inuke
1	प्रमंडलीय आयुक्त (सम्बन्धित जिला जिस प्रमंडल में स्थित हो)
2	जिला पदाधिकारी (सम्बन्धित जिला के)
3	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (सम्बन्धित जिला के)
4	जिला में स्थित नगर निकाय के मेयर/अध्यक्ष, जिला परिषद्

¼[k½ bl lfefr ds fuEukfdr dk;Z@nkf;Ro gksxs %&

(a) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों का पर्यवेक्षण, रख–रखाव एवं संधारण।

(b) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों के रख–रखाव एवं संधारण का निरंतर अनुश्रवण।

(c) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों के कामकाज एवं रख–रखाव के संबंध में संबंधित थानाध्यक्षों से संपर्क बनाये रखना।

(d) सी0सी0टी0वी0 एवं संबंधित उपकरणों के कामकाज के संबंध में राज्य स्तरीय निगरानी समिति को मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

(e) विभिन्न पुलिस थानों में रक्षित सी0सी0टी0वी फुटेज की समीक्षा करना, ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की ऐसी घटनाओं की पड़ताल की जा सके, जो घटित हुई हों, किन्तु अप्रतिवेदित रह गयी हों।

vkns'k ls]
lquhy dqekj]
ljdkj ds fo'ks"k lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 2-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in